"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 527] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2017—— अग्रहायण 10, शक 1939

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक-एफ 3-25/2014/गृह-दो . —— छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य में आतंकवाद के उग्र खतरे पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु आतंकवादी निरोधक दस्ता के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.-**

2. (क) ये नियम छत्तीसगढ़ आतंकवादी निरोधक दस्ता नियम, 2017 कहलायेंगे.
   (ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.
   (ग) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

3. **परिभाषाएं.**- शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इसमें प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) में उनके लिये समनुदेशित है.

4. **कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व.**- आतंकवादी निरोधक दस्ता का प्रमुख उत्तरदायित्व, राज्य में आतंकवादी कार्यों की निगरानी, उनका नियंत्रण तथा आतंकवादी गतिविधियों को निष्प्रभावी करना है. आसूचना संकलित करने, रणनीति एवं अन्वेषण आदि के संबंध में आतंकवादी निरोधक दस्ता का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार है,-

   (क) **आसूचना संकलित करना.**- आतंकवादी निरोधक दस्ता, छत्तीसगढ़ के किसी भी भाग में सक्रिय आतंकवादियों के संबंध में आसूचना संकलित करेगा तथा विशेष रणनीति बनाकर उन्हे निष्प्रभावी करेगा.

   (ख) **समन्वय एवं सूचना साझा करना.**- आतंकवादी निरोधक दस्ता, राज्य की विशेष शाखा एवं अन्य इकाईयों, अन्य राज्यों तथा केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों जैसे आसूचना ब्यूरो (आईबी) एवं अनुसंधान और विश्लेषण शाखा (रॉ) से समन्वय करेगा तथा सूचना साझा करेगा.

(ग) **निगरानी.**- आतंकवादी निरोधक दस्ता आतंकवादी समूहों, उनके समर्थकों या सहानुभूति रखने वालों तथा ऐसे तत्वों, जो विचार परिवर्तन द्वारा कट्टरता का प्रचार करते हैं एवं आतंकवाद फैलाते हैं उन पर निगरानी रखने के लिए या उनके बारे में जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से सूत्रों और अभिकर्ताओं को संलग्न करेगा.

(घ) **संगठित अपराध हेतु नोडल एजेंसी.**- आतंकवादी निरोधक दस्ता, राज्य में संगठित अपराध की समस्या का समाधान करने के लिये नोडल एजेंसी होगा.

(ङ) **आतंकवादी संगठनों को सहायता करने के अपराध का दमन.**- आतंकवादी निरोधक दस्ता, अन्य राज्यों तथा केन्द्रीय संगठनों से समन्वय करते हुए, निम्नलिखित संगठित अपराध के क्षेत्र में आपराधिक तत्वों की पहचान करेगा तथा उन्हें निष्प्रभावी करने का प्रयास करेगा, अर्थात् :-

एक. नकली/जाली करेंसी का परिसंचरण,

दो. डकैती,

तीन. हवाला,

चार. अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, विस्फोटकों तथा अन्य घातक तत्वों की तस्करी,

पांच. नागरिकता, पासपोर्ट तथा वीजा जारी करने संबंधी धोखाधड़ी,

छः. साइबर अपराध,

सात. नारकोटिक्स,

आठ. जबरिया वसूली, तथा

नौ. मानव अंगो का अवैध व्यापार.

(च) **मीडिया की संवीक्षा करना.**- सूचना के समस्त खुले स्त्रोतों जैसे समाचार पत्रों, दूरदर्शन, इंटरनेट एवं विभिन्न शासकीय विभागों की रिपोर्टों की नियमित रूप से संवीक्षा तथा मूल्यांकन किया जायेगा.

(छ) **विशेष दल का गठन.**- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आसूचना), व्यावसायिक कार्य जैसे अर्बन वारफेयर, क्लोज कॉम्बेट, होस्टेज, रेस्क्यू आदि के लिये सुप्रशिक्षित विशेष दल गठित करेगा. इन दलों को अस्त्रों-शस्त्रों के संचालन, तात्कालिक विस्फोटक यंत्रों (आईईडी), डी-माईनिंग आदि में व्यावसायिक प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा. राज्य के किसी भी भाग में, आतंकवादियों अथवा उनकी गतिविधियों की कोई भी आसूचना प्राप्त होने पर, समुचित रणनीति के साथ, किसी भी समय, वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में उपरोक्त उल्लिखित विशेष दल द्वारा फालो अप कार्यवाही कराये जा सकेंगे.

(ज) **साइबर अपराध.**- सूचना प्रौद्योगिकी के वातावरण में काम करने के लिए तकनीकी ज्ञान में दक्ष कर्मियों का चयन किया जायेगा. इलेक्ट्रानिक निगरानी हेतु उपकरण, कम्प्यूटर एवं नवीनतम साफ्टवेयर आदि की सहायता से प्राप्त सूचना का अन्वेषण करने के लिये अधोसंरचना का उपयोग आतंकवादी निरोधक दस्ता द्वारा किये जायेंगे.

(झ) **तत्काल कार्यवाही.**- आतंकवादी निरोधक दस्ता, आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित सभी अपराधों का अन्वेषण स्वत: करेगा.

(ञ) **राजद्रोह का अपराध.**- राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा किये गये अपराधों का अन्वेषण, पुलिस महानिदेशक अथवा सक्षम न्यायालय के आदेश पर आतंकवादी निरोधक दस्ता द्वारा किया जायेगा.

5. **आतंकवादी संगठनों को सहायता करने के अपराध का अन्वेषण.**- कोई संगठित अपराध, जैसे कि बैंक डकैती, नकली भारतीय करेंसी का परिसंचरण, हवाला, स्व-चालित अस्त्रों-शस्त्रों एवं विस्फोटकों की तस्करी, विदेशियों के लिये झूठा पासपोर्ट एवं वीजा का निर्माण, नारकोटिक्स का व्यापार, जबरिया वसूली एवं अन्य संगठित अपराध, के अन्वेषण के दौरान, यदि आतंकवाद से कोई दुरभिसंधि (लिंकेज) पाया जाता है तो आतंकवादी निरोधक दस्ता, पुलिस महानिदेशक अथवा सक्षम न्यायालय के आदेश पर ऐसे अपराध का संज्ञान लेगा.

6. **आतंकवादी गतिविधियों की तत्काल संसूचना.**- किसी पुलिस थाने के अधिकारिता क्षेत्र में कोई आतंकवादी गतिविधियां होने की दशा में, पुलिस थाने के संबंधित इकाई के लिये यह आवश्यक होगा कि वह आतंकवादी निरोधक दस्ता को तत्काल संसूचित करे. संबंधित इकाई के पदाधिकारीगण, अपने विधिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन तब तक करते रहेंगे जब तक कि आंतकवादी निरोधक दस्ता, आगे और अन्वेषण के लिये मामले को पंजीकृत न कर ले.

7. **अन्वेषण का पर्यवेक्षण करने की शक्ति.**- मामले में अन्वेषण के पर्यवेक्षण करने की शक्तियां, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आसूचना) में निहित होगी, जो समुचित संख्या में अन्वेषण दलों का गठन करेगा, अन्वेषण के दौरान अपेक्षित तकनीकी तथा पर्यवेक्षी अधिकारियों की संख्या निर्धारित करेगा और अन्वेषण पूरा होने पर अंतिम आदेश पारित करेगा.

8. **लागू विधियां.**- आतंकवादी निरोधक दस्ता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधानों के अनुसार अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रकरणों का अन्वेषण एवं अभियोजन संबंधी कार्य करेगा :

परन्तु अन्वेषण एवं अभियोजन संबंधी प्रक्रिया, विभिन्न विशेष अधिनियमों जैसे यथास्थिति, विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) एवं स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के प्रावधानों के अनुसार भी किया जायेगा.

9. **निर्वचन एवं अनुप्रयोग.**- इन नियमों के प्रावधानों का निर्वचन एवं अनुप्रयोग, राज्य शासन एवं/या पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस नियमावली, छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007), विभिन्न आतंकवादी निरोधक प्रवृत्त विधियों, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायनिर्णयों एवं निर्णयों, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के मध्य संवैधानिक व्यवस्थाओं एवं/या अनुबंधों अथवा आतंकवाद के परिपेक्ष्य में केन्द्र शासन द्वारा हस्ताक्षर किये गये अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसार किया जायेगा.

10. **संशोधन.**- आतंकवादी निरोधक दस्ता के संगठनात्मक ढांचे अथवा लागू विधियों में परिवर्तन के अनुसार, समय-समय पर, इन नियमों में संशोधन प्रस्तावित किये जा सकेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 21st November 2017

NOTIFICATION

No. F 3-25/2014/Home-II. — In exercise of the powers conferred by Section 50 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007), the State Government, hereby, makes the following rules relating to duties and responsibilities of the Anti-Terrorist Squad for effective control over the extreme threat of terrorism in the State, namely :-

RULES

1. **Short title, extent and commencement.**-

(a) These rules may be called the Chhattisgarh Anti-Terrorist Squad Rules, 2017.

(b) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(c) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition.**- Words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007).

3. **Duties and Responsibilities.**- The main responsibility of the Anti-Terrorist Squad is surveillance over acts of terrorism, to control them and to neutralize the terrorist activities in the State. The scope of Anti-Terrorist Squad

relating to Intelligence gathering, strategy and investigation, etc. are as follows,-

(a) **Collating Intelligence**.- The Anti-Terrorist Squad shall collate intelligence regarding active terrorists in any part of Chhattisgarh and neutralize them by framing specialised strategy.

(b) **Coordination and Information Sharing**.- The Anti-Terrorist Squad shall coordinate and share information with the Special Branch and other units of the state, other states and Central intelligence agencies like the Intelligence Bureau (IB) and the Research and Analysis Wing (RAW).

(c) **Surveillance**.- The Anti-Terrorist Squad shall engage sources and agents to keep surveillance on terrorist groups, their supporters or sympathizers and such elements, which propagate radicalization and spread terrorism, by changing opinion and with object to collect information about them.

(d) **Nodal Agency for Organised Crime**.- The Anti-Terrorist Squad shall act as nodal agency to address the problem of organized crime in the State.

(e) **Suppression of crime aiding terrorist organisations**.- The Anti-Terrorist Squad, in coordination with other states and central organizations, shall identify criminal elements in the field of following organized crime, and shall try to neutralize them, namely :-

i. Circulation of fake/counterfeit currency,

ii. Robbery,

iii. Hawala,

iv. Smuggling of arms, ammunition, explosives and other dangerous elements,

v. Frauds relating to issues of citizenship, passport and visa,

vi. Cyber Crime,

vii. Narcotics,

viii. Extortion, and

ix. Illegal trade in human Organs.

(f) **Scrutiny of media**.- All the open sources of information like newspapers, television, internet and reports of various government departments shall be regularly scrutinized and evaluated.

(g) **Setting up of Specialised Teams**.- The Additional Director General (Intelligence) shall set up well-trained specialized teams for professional work like urban warfare, close combat, hostage, rescue, etc. These teams will be imparted training in weapons handling, Improvised Explosive Devices (IEDs), demining, etc. by professional trainers. At any time, upon receiving any intelligence of terrorists or their activities in any part of the State follow-up action with an appropriate strategy may be carried out by the abovementioned special teams under the supervision and control of senior officers.

(h) **Cyber Crime**.- Personnel skilled in technical know-how shall be selected to work in the information technology environment. Instruments for electronic surveillance, infrastructure for investigation of information received with the help of computers and latest software etc. shall be used by Anti-Terrorist Squad.

(i) **Immediate Action**.- Anti-Terrorist Squad shall investigate all crimes related to terrorist activities automatically.

(j) **Seditious offences**.- Investigation of offences done by anti-national elements shall be carried out by the Anti-Terrorist Squad on the orders of the Director General of Police or Competent Court.

4. **Investigation into crimes aiding terrorist organisations.**- During investigation of any organized crime like engaging in bank robbery, circulation of Counterfeited Indian currency notes, hawala, smuggling of automatic weapons and explosives, creation of fake passports and visas for foreigners, narcotics trade, extortion and other organized crime, if any linkage with terrorism is found, Anti-Terrorist Squad shall take cognizance of such offences on the orders of the Director General of Police or Competent Court.

5. **Immediate communication of the terrorist activity.**- In the event of any terrorist activity in jurisdiction of any police station, it shall be necessary for the concerned unit of the police station to communicate immediately to the Anti-Terrorist Squad. The officials from the respective unit shall continue to discharge their legal responsibilities until the Anti-Terrorist Squad registers the case for further investigation.

6. **Power to supervise Investigation** .- The powers to supervise the investigation in the cases shall lie with the Additional Director General of Police (Intelligence), who shall form investigative teams in appropriate numbers, determine the number of technical and supervisory officers requuired during investigation, and shall pass the final order once the investigation is complete.

7. **Laws Applicable.**- Anti-Terrorist Squad shall carry out the investigation and prosecution related work of cases under its jurisdiction as per the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974):

Provided that, procedure relating to investigation and prosecution shall also be carried out as per the provisions of various Special Acts like the Unlawful Activities Prevention Act, 1967 (No. 37 of 1967) and the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), as the case may be.

8. **Interpretation and application.**- The interpretation and application of the provisions of these rules shall be made by the State Government and/or the Director General of Police, Chhattisgarh in accordance with the Chhattisgarh Police Manual, the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007), various anti-terrorism laws in force, judgements and decisions of the Supreme Court and High Court, sconstitutional arrangements and/or agreement between the State Government and the Central Government or International treaties signed by the Central Government in context of terrorism.

9. **Amendment.**- Amendments may be proposed to the rules from time to time in accordance with changes in the organizational structure of the Anti-Terrorist Squad or the applicable laws.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. K. MATHUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.